"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 103] रायपुर, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ-7-18/सात-3/2010.—छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) नियम 2004 के नियम 3 के तहत विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए अधिनियम की धारा 2 की कण्डिका (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा/सक्ती/चांपा/जांजगीर/पामगढ़ के लिये भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) के लिये उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिये नीचे की गई अनुसूची के कॉलम (1) में वर्णित अधिकारी को कॉलम (2) में वर्णित क्षेत्र के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करती है.

अनुसूची

क्रमांक (1)	अधिकारी का पदनाम (2)	क्षेत्राधिकारिता (3)
1.	अनुविभागीय अधिकारी (रा.)	अनुविभाग डभरा
2.	अनुविभागीय अधिकारी (रा.)	अनुविभाग सक्ती
3.	अनुविभागीय अधिकारी (रा.)	अनुविभाग चांपा
4.	अनुविभागीय अधिकारी (रा.)	अनुविभाग जांजगीर
5.	अनुविभागीय अधिकारी (रा.)	अनुविभाग पामगढ़

Raipur, the 30th March 2010

NOTIFICATION

No. F-7-18/Seven-3/2008.—In exercise of the powers conferred by clause (A) of Section 2 of the Act for specified Area under rule 3 of the Chhattisgarh underground pipelines (Acquisition of Right of user in Land) Rule 2004, the State Government hereby appoint the Competent Authority for Specified Area in column (2) of Specified Officer in column (1) of below Schedule to performance to Affairs of Competent Authority under said Act for Underground Pipelines (Acquisition of Right of user in Land) for Sub-Divisional Officer (Revenue) Dabhara/Sakti/Champa/Janjgir/Pamgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Designation of Officer (2)	Jurisdiction on the Area (3)
1.	Sub-Division Officer (Revenue)	Sub-Division Dabhara
2.	Sub-Division Officer (Revenue)	Sub-Division Sakti
3.	Sub-Division Officer (Revenue)	Sub-Division Champa
4.	Sub-Division Officer (Revenue)	Sub-Division Janjgir
5.	Sub-Division Officer (Revenue)	Sub-Division Pamgarh

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. डी. दीवान, अवर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.